

पंजाब नेशनल बैंक में 25 करोड़ का लोन घोटाला मामले में ईडी की रेड

जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में एक साथ दस ठिकानों पर कार्रवाई की

जयपुर। राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह एक बार फिर सनसनी फैल गई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में एक साथ दस ठिकानों पर कार्रवाई की। इस मामले में श्रीगंगानगर का अमनदीप चौधरी मुख्य आरोपी है। जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर निवासी अमनदीप चौधरी और उनके साथियों ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से लोन लेकर बड़ा फर्जीबाड़ा किया था। आरोप है कि उन्होंने वेयरहाउस में रखे माल को गिरवी रखकर बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन लिया और फिर वह माल बिना बैंक को जानकारी दिए बाजार में बेच दिया।

2020 में दर्ज हुआ था मामला, अब ईडी की एंट्री : सूत्रों

बीकानेर में दो और हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में पांच ठिकानों पर एक साथ रेड की। श्रीगंगानगर में अमनदीप चौधरी के आवास और धानमंडी स्थित कार्यालय पर भी कार्रवाई की गई। जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डिजिटल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड्स और संपत्ति दस्तावेज जब इस कार्रवाई में ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक

डिवाइस और संपत्ति से जुड़े कागजात जब किए हैं। बैंक लेन-देन और फर्जी कंपनियों के रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जा रही है। ईडी सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई अभी शुरूआती चरण में है। आने वाले दिनों में अन्य संबंधित व्यक्तियों पर भी शिकंशा कस सकता है। अगर पूछताछ में नए तथ्य सामने आते हैं तो कुछ और नाम भी इस घोटाले की चपेट में आ सकते हैं।

यात्रा में वरिष्ठ नागरिक जनों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखने का निर्देश

जयपुर। देवस्थान, पशुपालन, डेयरी, और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक जनों को देवस्थान विभाग की ओर से कराए जाने वाले तीर्थ यात्राओं में उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए और पिछली यात्राओं के अनुभवों को देखते

- देवस्थान मंत्री की अध्यक्षता में विभाग की वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

हुए उसी के आधार पर यात्राओं का रूट तय किया जाए। कुमावत आज सचिवालय के सभा कक्ष में बजट घोषणा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

बैठक में सचिव, देवस्थान और कार्मिक विभाग के के पाठक ने विस्तार से जानकारी दी और देवस्थान विभाग के नए बनाए जा रहे वेबसाइट का भी प्रदर्शन किया। कुमावत ने कहा कि अगली तीर्थ यात्रा से पहले नई वेबसाइट लॉच करने का प्रयास करें।

बैठक में रेल और हवाई यात्रा के लिए तीर्थ स्थलों के निर्धारण पर चर्चा करते हुए देवस्थान मंत्री ने कुछ वर्तमान



देवस्थान, पशुपालन, डेयरी, और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सचिवालय के सभा कक्ष में बजट घोषणा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली।

तीर्थस्थलों के स्थान पर नए तीर्थस्थलों को जोड़ने का सुझाव दिया जिनमें मुख्य रूप से त्र्यंबकेश्वर, दशमेश्वर, गोवा और आगरा के मंदिरों को जोड़ा गया है। तीर्थयात्राओं के कुल 13 रूट तय किए गए हैं। एक यात्रा रूट ऐसा है जिसमें चार ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक बार में ही हो जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपये का व्यय कर इस योजना के तहत 30 हजार यात्रियों को यह सुविधा दी गई थी जबकि इस वर्ष 50 हजार यात्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जल्द ही आवेदन करने की तिथि घोषित की जाएगी। जिन यात्रियों ने पूर्व में जनाधार के माध्यम से

अपना आवेदन कर रखा है उन्हें दुबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है लेकिन वे अपने रूट में बदलाव कर सकते हैं। देवस्थान मंत्री ने कहा कि जिन रेलगाड़ियों में यात्रियों को यात्रा कराई जा रही है उसकी साज सज्जा और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन भी स्थानों को रेलगाड़ी में दर्शाया जाए उन स्थानों का नाम भी उनके नीचे अंकित किया जाए जिससे राज्य के बाहर के लोगों को भी उनकी जानकारी हो सके और प्रदेश के प्रति उनका आकर्षण बढ़े जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

कुमावत ने निर्देश दिया कि मंदिरों के आय व्यय में पारदर्शिता होनी चाहिए।

सभी श्रेणी के मंदिरों का परिसर के वातावरण, दर्शन की स्थिति और सुविधाओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाए और उसके आधार पर मंदिरों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने मंदिरों के सर्वे के लिए एक टूल बनाकर उनका सर्वे कराने का निर्देश दिया।

बैठक में कन्हैया लाल स्वामी, विशिष्ट सचिव गृह, रतनलाल योगी, सहायक आयुक्त देवस्थान, के के खण्डेलवाल, सहायक आयुक्त देवस्थान, पूर्वा अग्रवाल, वित्त सलाहकार देवस्थान तथा डॉ।निर्मला, उप निदेशक स्वास्थ्य विभाग सहित देवस्थान विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वाहन चोर गिरोह के चार शातिर बदमाशों को धर-दबोचा

जयपुर। जामडोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौपहिया वाहन चुराने वाली गैंग के चार शातिर बदमाशों को धर-दबोचा है और उनके पास से चुराई गई एक चौपहिया वाहन सहित वारदात में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि तूंगा में भ्यालों की ढाणी निवासी दिनेश कुमार शर्मा (26) ने मामला दर्ज करवाया कि मंगलवार रात को परिवार के सभी मेंबर खाना खाकर सो गए। रात करीब 11:45 बजे अज्ञात बदमाश घर में घुस आए। घर में सो रही बहन पूजा की आहत सुनकर नींद खुल गई। उठने की कोशिश के दौरान अज्ञात बदमाशों ने बहन पूजा पर हमला कर दिया। बहन के सिर पर लगातार किसी हथियार से चार किया। बेहोशी की हालत में होने पर दर्द से चिल्लाने पर बदमाश भाग गए।



जामडोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौपहिया वाहन चुराने वाली गैंग के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया।

के पास से चुराई गई एक चौपहिया वाहन सहित वारदात में प्रयुक्त एक कार और एक दुपहिया वाहन भी

बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

सुपरवाइजर के सुसाइड मामले में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन

जयपुर। माणक चौक थाना इलाके में हेरिटेज निगम कार्यालय के मीटिंग हॉल में सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर के सुसाइड मामले में विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को परिजनों के साथ सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बनी। सहमति के तौर मुक्त के परिजनों को 15 लाख रुपए और एक डेयरी ऑक्टन पर बात बनी। इस मामले में एक्सईएन योगेश कुमावत को एपीओ कर दिया गया और उसके खिलाफ जांच की जा रही है। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सहमति के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव ले लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

गौरतलब है कि गुरुवार शाम को नगर निगम हेरिटेज में एक अस्थाई कर्मचारी हरेदयाल द्वारा मीटिंग हॉल में पंखे पर लटक सुसाइड कर लिया गया था। इस

- 15 लाख और डेयरी बुध आवंटन की मांग पर बनी सहमति
- एक्सईएन योगेश कुमावत को एपीओ किया एपीओ

घटना के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया था। सूचना पर मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल में रखवाया। मुक्त के पास से एक साइड नोट भी मिला है। जिसमें निगम के ही एक अधिकारी द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया गया था। सुसाइड नोट में मुक्त ने नगर निगम मुख्यालय एड्सईएन योगेश कुमावत पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा परिजनों ने एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र यादव को भी परेशान करने का आरोप लगाया था। इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी माणक चौक पीयूष कविया कर रहे हैं।

रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित हो : डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी

जयपुर। जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ जयपुर में ट्रैफिक जाम को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को

- संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये निर्देश

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्ग पर मिडियन कट्स को बंद करने एवं फ्लाईओवर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के के निर्देश दिये हैं। उन्होंने दुर्घटना के संभावित स्थानों पर व्यापक



जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला यातायात प्रबंध समिति की बैठक ली।

इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये पुराने साइनेज को हटाकर नये साइनेज लगाने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जयपुर जिले के शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर भारत सरकार के नये नोटिफिकेशन के अनुसार स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड लगाने, राजमार्गों के प्रोटोकॉल के अनुसार चिह्नित ब्लैक

स्पॉट्स के निवारण करने एवं जिले में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने और राजमार्गों पर अनाधिकृत पार्किंग सहित रिफ्लेक्टिव टेप इत्यादि के उल्लंघनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को पिछली बैठक के बिन्दुओं की अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। बैठक में जलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग करने, रूट उल्लंघन करने वालों के

खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने, टोल नाके पर शराब या नशा कर के चलाने वाले वाहन चालकों को पकड़ने तथा बेसहारा पशुओं को रेडियम पट्टी लगाने सहित सड़क सुरक्षा के तमाम उपाय करने आदि पर भी चर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) संतोष कुमार मीणा, पुलिस विभाग, यातायात पुलिस, सहित जयपुर विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एलओआई धारक तय समय सीमा में अनुमोदन के लिये माइनिंग प्लान प्रस्तुत करें : टी. रविकान्त



प्रमुख सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त शुक्रवार को सचिवालय से एलओआई धारकों से वर्युअली रुबरू हुए।

जयपुर। प्रमुख सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने एलओआई धारकों से माइनिंग प्लान अनुमोदन,चरागाह एनओसी,पर्यावरण स्वीकृति सहित आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए संबंधित संस्थाओं में आवश्यक दस्तावेज तय समय सीमा में प्रस्तुत करने को कहा है ताकि ऑक्शन ब्लॉकों को परिचालन में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि एलओआई धारकों द्वारा आवश्यक अनुमतियों के लिए कार्रवाई में देरी के कारण खानों को परिचालन में लाने में अनावश्यक देरी होती है।

रविकान्त शुक्रवार को सचिवालय से एलओआई धारकों से वर्युअली रुबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑक्शन खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में जिन एलओआई धारकों (मंशपात्र धारक) ने अभी तक माइनिंग प्लान बनाकर अनुमोदन के

- ‘ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने के लिए सरकार गंभीर’

लिए आईबीएम में प्रस्तुत नहीं किया है वे बिना किसी विलंब के माइनिंग प्लान प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि करीब 15 एलओआई धारकों द्वारा अभी तक आईबीएम में अनुमोदन के लिए माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी तरह से चरागाह एनओसी के लिए 12 एलओआई धारकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। लाभार्थी यही स्थिति पर्यावरण स्वीकृतियों को लेकर है।

टी. रविकान्त ने एलओआई धारकों द्वारा समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करने से ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने में अनावश्यक देरी होती है। उन्होंने निदेशालय को भी निर्देशित किया कि संबंधित एलओआई

धारकों को मुख्यालय बुलाकर वन टू वन मीटिंग कर आवश्यक मार्गदर्शन और नियमों की जानकारी से अवगत कराया जाए।

निदेशक माइंस दीपक तंवर ने बताया कि एलओआई धारकों की शंकाओं का मुख्यालय स्तर पर बैठक कर समाधान करने के साथ ही आवश्यक अनुमतियों के लिए आवेदन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि माइनिंग प्लान गठित पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल द्वारा संबंधित विभागों से भी समन्वय बनाया हुआ है। बैठक में अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर, अधीक्षण खनि अभियंता मेजर भीम सिंह, अधीक्षण खनि अभियंता विजिलेंस प्रताप मीणा, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, बीडिंग सेल से एसजी नितिन चौधरी के साथ ही एलओआई धारकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

साइबर ठगों ने 3 लोगों को बनाया शिकार

जयपुर। एसएमएस थाना इलाके में एक कंपनी का हेड बनकर साइबर ठग ने एक बुजुर्ग को मोटा मुनाफे का लालच देकर 2.55 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस के अनुसार गंगवाल पार्क निवासी मुदित कुमार जैन ने मामला दर्ज करवाया कि उसके पास एक बैटरी कम्पनी का हेड बनकर संदीप मेहता के नाम के व्यक्ति को फोन किया। उसने ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए सेवा लेने की बात कही और निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। झूसे में आकर बुजुर्ग ने कंपनी में निवेश करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने आरोपी के बताए नम्बरों पर कई बार में 2.55 लाख रुपए डाल दिए। ठगी का पता पीड़ित को वापस रुपए नहीं मिलने पर लगा। इस पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना में खोह नागोरियान थाना इलाके में टेलीग्राम पर लिंक भेज कर निवेश करने पर मोटा मुनाफे का झूसा देकर एक व्यक्ति से 7.80 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार जेएनयू अस्पताल जगतपुरा निवासी तन्वी कोहली ने मामला दर्ज करवाया कि उसके पास किसी ने टेलीग्राम लिंक भेजा और संदेश में लिखा कि लिंक पर क्लिक कर निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस पर उसने कुछ राशि निवेश की तो आरोपियों ने उसे 41 रुपए का मुनाफा पीड़ित को खते में डाल दिया। विश्वास होने पर पीड़ित ने कई बार में अपने खातों से 7.80 लाख रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद भी आरोपियों ने उसे मुनाफा भी दिया तो उसे ठगी का अहसास हुआ। इस पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा मालवीय नगर थाना इलाके में साइबर ठगों ने एक युवक के खते से 94000 रुपए पार कर लिए। पुलिस के अनुसार इनकम टैक्स कॉलोनी द्वितीय निवासी लोकेश शर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि उसके खते से साइबर ठगों ने 94000 रुपए निकाल लिए। ठगी का पता पीड़ित को खाता संभालने पर लगा।

पैक्स विहीन पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के गठन करने के निर्देश

जयपुर। जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक का आयोजन जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिला कलक्टर ने सहकारी आन्दोलन को जिले में बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैक्स विहीन सभी ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति गठन करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला सहकारिता समितियों को राजस्विका एवं उद्योग विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न मेलों अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी प्रदान करने एवं राजस्विकी एप पर पंजीकरण की अनुमति देने का प्रस्ताव समिति द्वारा पारित किया गया। बैठक में पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों से विहीन ग्राम पंचायतों की पहचान करने व समितियां गठित करने,अनाज भण्डारण योजना में चयनित पैक्स मे गोदाम निर्माण,पैक्स का जन औषधि केन्द्र की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलक्टर ने पैक्स के प्रधानमंत्री किसान समुद्धि केन्द्र के रूप में चयन की प्रगति, पैक्स को भारतीय बीज सहकारी समिति लि., नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसायटी एवं नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसायटी की सदस्यता संबंधी प्रगति, पैक्स का एन.ए.एफ.ई.टी. एण्ड एन.सी.सी.एफ. गेटेल पर रजिस्ट्रेशन की प्रगति, पैक्स को एफ.पी.ओ केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रबंध निदेशक सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि. दिनेश कुमार शर्मा, डी.डी.एम नार्बाड अरविन्द चाहर सहित अन्य हितधारक उपस्थित थे।

मई से शुरू होगा प्रथम चरण

जयपुर। राज्य सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) लागू की है। आरएमएफडीसीसी की प्रबंध निदेशक रजनी सी सिंह ने बताया कि इस योजना के दो चरण है तथा वर्तमान में योजना के प्रथम चरण को क्रियान्वित की जानी है। सिंह ने बताया कि प्रथम चरण 1 मई से 30 सितम्बर तक लागू रहेगा। इस चरण में 31 मार्च, 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय (ओवरड्रफ्ट) मूलधन का एक मुश्त चुकारा 30 सितंबर तक करने पर अतिदेय ब्याज एवं शांति (दण्डनीय ब्याज) में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण एक अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। परंतु इस चरण में 31 मार्च, 2024 को ऋणियों में बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज एक मुश्त जमा करने पर ऋणी की शांति (दण्डनीय ब्याज) में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग निगम मुख्यालय द्वारा की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर या विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर का निर्णय अंतिम होगा व सभी पक्षों को मान्य होगा। एक मुश्त समाधान योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।